

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

महिलाओं के लिये पुलिस आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती-2015 का चयन परिणाम

संख्या: पीआरपीबी-एक-1(125)/2015

दिनांक: मई 15, 2018

महिलाओं के लिये पुलिस आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती-2015 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-एक-1(83)/2015 दिनांक 29-12-2015 प्रकाशित करते हुये पुलिस आरक्षी के 5800 पदों पर भर्ती हेतु आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

2- इस चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत आनलाइन 506338 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये। इन अभ्यर्थियों के 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञप्ति दिनांकित 29-12-2015 के प्रस्तर-4.1 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार श्रेष्ठता सूची तैयार करके श्रेष्ठताक्रम में 87132 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 07-04-2016 से 19-04-2016 के मध्य सम्पन्न करायी गयी।

3- शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा के प्राप्त अंकों (10वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 100 अंक एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 200 अंक कुल 300 अंक) तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अधिकतम 200 अंक अर्थात् कुल 500 अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर अगले चरण की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु विज्ञापित कुल रिक्तियों के सापेक्ष श्रेणीवार कुल 7723 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाया गया।

4- उपरोक्तानुसार बुलायी गयी महिला अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही दिनांक 18-07-2016 से 02-08-2016, 19-09-2016 से 23-09-2016 के मध्य तथा दिनांक 03-01-2017 को सम्पन्न की गयी।

5- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पायी गयी अभ्यर्थियों में से 30प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति दिनांकित 29-12-2015 के प्रस्तर-4.1 के अधीन 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर दिये गये कुल अंक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक के कुल योग के श्रेष्ठताक्रम में राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत उपरोक्त विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन परिणाम घोषित किया जाता है।

6- इस चयन में पुलिस आरक्षी के 5800 पदों के सापेक्ष अनारक्षित श्रेणी में 2900, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 1566, अनुसूचित जाति श्रेणी में 1218 तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 116 अभ्यर्थी चयनित हुयी हैं। इनमें क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 15 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित सम्मिलित हैं।

7- यह चयन परिणाम अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं 10वीं तथा 12वीं की अंक तालिकाओं के सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन है।

8- पुलिस आरक्षी के 5800 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट आफ मार्क्स निम्नवत हैं :-

श्रेणी	लम्बवत आरक्षण	क्षैतिज आरक्षण
		स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
अनारक्षित	418.77	332.33
अन्य पिछड़ा वर्ग	410.6	358.9
अनुसूचित जाति	357.9	-
अनुसूचित जनजाति	377.23	-

9- संगत सेवा नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 02 या अधिक अभ्यर्थी द्वारा बराबर-बराबर अंक प्राप्त करने की स्थिति में उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है :-

- (1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने की दशा में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्राप्त कुल अंकों में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की गयी है।
- (2) यदि उपर्युक्त के बाद भी एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान होने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की गयी है जो 1-डीओईएसीसी (DOEACC)/नाइलिट (NIELIT) सोसाइटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या 2-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 3-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्रदान किया गया है।
- (3) उपर्युक्त के होते हुये भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की गयी है।
- (4) यदि उपर्युक्त के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता, उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की गयी है।

अतः अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट आफ के बराबर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयनित होना आवश्यक नहीं है।

10- यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व जन्मतिथि डालकर देख सकते हैं।

11- यह चयन परिणाम सर्वसाधारण के लिये सूचित किया जा रहा है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार

अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।



अपर सचिव, भर्ती

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।